न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 220/2023

अनवान : –

1. छोटुराम पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सरजीत पुत्र बीरू जाति जाट निवासी ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर
2. राजपाल पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर
3. सीमा पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर
4. सुलोचना पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर
5. सन्तोष पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी दाणीलालखां तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
7. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 29/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर के खाता सं. 91/91 के ख.न. 205 की 1.8590 हैक्टर भूमि ख.न. 206 की 1.8590 हैक्टर कुल 3.7180 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 का 1/4 हिस्सा भूमि स्थित है। एव रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 612/612 के ख.न. 46/2 की 3.0600 हैक्टर, ख.न. 45/3 की 0.1270 हैक्टर कुल 3.1870 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 अकेला 1/12 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 212/184 के ख.न. 257 की 19.109 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 अकेला 1/12 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 356/347 के ख.न. 468 की 4.9320 हैक्टर भूमि ख.न. 487 की 6.2470 हैक्टर भूमि कुल 11.1790 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढाणीलाल खां तहसील नोहर के खाता सं. 98/98 के ख.न. 201 की 1.2650 हैक्टर ख.न. 202 की 1.2650 हैक्टर भूमि ख.न. 203 की 1.2650 हैक्टर कुल 3.7820 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 अकेला 105/1891 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:31 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व [illegible] के दादा बिरू पुत्र मालू जाति जाट साकिन ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर के नाम दर्ज [illegible] उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगण पर औद हुई तथा गैरसायल सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर के खाता सं. 91/91 की कुल 3.7180 हैक्टर में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई, एवे रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 612/612 की कुल 3.

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

1870 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 212/184 की कुल तादादी 19.109 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 356/347 की कुल 11.1790 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढ़ाणीलाल खां तहसील नोहर के खाता सें. 98/98 की कुल 3.7820 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज 105/1891 हिस्सा भूमि आई। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है तथा गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए सायल गैरसायलान सं. 1 ता 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर के खाता सं. 91/91 की कुल 3.7180 हैक्टर में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई, एंव रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 612/612 की कुल 3. 1870 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 212/184 की कुल तादादी 19.109 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 356/347 की कुल 11.1790 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढ़ाणीलाल खां तहसील नोहर के खाता सं. 98/98 की कुल 3.7820 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज 105/1891 हिस्सा भूमि में सायल व गैरसायलान सं. 1 ता 5 ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करवापाने का अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि गैरसायल सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र रहन / बैय व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है अगर गैरसायल सं. 1 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा जिसकी पूर्ति किसी कदर सम्भव नही हो पायेगी इसलिए सायल जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल सं. 1 को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। तथा रिकार्ड व मौका पर यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 91/91 की कुल 3.7180 है० एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 612/612 की कुल 3.1870 है० एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 212/184 की कुल तादादी 19.109 है० एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 356/347 की कुल 11.1790 है० एवं रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता संख्या 98/98 की कुल 3.7820 है० भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:31 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्राथीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षति</u>– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रा[illegible]क्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्ष[illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना वि[illegible]

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
जोहर

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 91/91 की कुल 3.7180 है० एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 612/612 की कुल 3.1870 है० एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 212/184 की कुल तादादी 19.109 है० एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 356/347 की कुल 11.1790 है० एवं रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता संख्या 98/98 की कुल 3.7820 है० भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:31 IST
Reason: SelfAttested